न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 361/2026

अनवान : –

1. मनीष पुत्र दलीप कुमार जाति जाट साकिन भगवान तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. दलीप पुत्र ख्यालीराम जाति जाट साकिन भगवान तहसील नोहर।
2. आशीष पुत्र दलीप कुमार जाति जाट साकिन भगवान तहसील नोहर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता **वादी**

पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 03/06/26

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादीगण ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा भगवान तहसील नोहर केक खाता स0 62/58 के ख0न0 117/2 की 3.8570 हैक्ट भूमि ख0न0 314/3 की 4.5520 हैक्ट भूमि ख0न0 439/2 की 2.3900 हैक्ट कुल 10.7990 हैक्ट भूमि में से 1/7 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वाद भूमि हिन्दु मुश्तरका खान दान की जददी जायदाद भूमि है जो कि वादी के दादा ख्यालीराम की नौताड़ कर्ता भूमि है जो प्रतिवादी सं. 1 के कर्ता खान होने के कारण अपने नाम अनुचित तौर से दर्ज करवा ली जबकि वाद भूमि में प्रतिवादी सं. 1 के साथ वादी व प्रतिवादी सं. 2 का बाई बर्थ राईट है अर्थात ब.हि..ब के खातेदार काश्तकार है तथा वादी व प्रतिवादीगण सं. 1 ता 2 एक दुसरे के कोपार्सनर है। वाद भूमि बाबत वादी व प्रतिवादीगण के मध्य बाहमी राजीनामा हो चुका है तथा मुताबिक राजीनामा के वाद भूमि में प्रतिवादी सं. 1 का जो भी हक व हिस्सा था वो वादी सं. 1 व प्रतिवादी सं. 2 के पक्ष में परित्याग कर दिया है तथा प्रतिवादी सं. 1 वाद भूमि में अपना हक व हिस्सा नहीं लेना चाहता है प्रतिवादी सं. 1 का अपनी माता तुलसी पत्नि ख्यालीराम के नाम दर्ज 1/7 हिस्सा में अपना हक व हिस्सा दर्ज करवा लेगे इसलिए रोही मौजा भगवान तहसील नोहर के खाता सं. 62/58 की कुल 10.7990 हैक्टर भूमि में वादी के पिता प्रतिवादी सं. 1 दलीप पुत्र ख्यालीराम के नाम दज 1/7 हिस्सा भूमि में वादी एवं प्रतिवादी सं. 2 ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार है एवं प्रतिवादी सं. 1 का नाम जमाबन्दी से कलमजन करवाकर वादी उपरोक्त आशयों की न्यायालय से घोषणा करवापाने का अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ता 2 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 को कोई ऐतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 3 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नवीनतम व पुरानी जमाबंदी पेश की जो की शामिल मिसल की गई।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि वाद भूमि हिन्दु मुश्तरका खान दान की जददी जायदाद भूमि है जो कि वादी के दादा ख्यालीराम की नौताड़ कर्ता भूमि है जो प्रतिवादी सं. 1 के कर्ता खान होने के कारण अपने नाम अनुचित तौर से दर्ज करवा ली जबकि वाद भूमि में प्रतिवादी सं. 1 के साथ वादी व प्रतिवादी सं. 2 का बाई बर्थ राईट है अर्थात ब.हि..ब के खातेदार काश्तकार है तथा वादी व प्रतिवादीगण सं. 1 ता 2 एक दुसरे के कोपार्सनर है। वाद भूमि बाबत वादी व प्रतिवादीगण के मध्य बाहमी राजीनामा हो चुका है तथा मुताबिक राजीनामा के वाद भूमि में प्रतिवादी सं. 1 का जो भी हक व हिस्सा था वो वादी सं. 1 व प्रतिवादी सं. 2 के पक्ष में परित्याग कर दिया है तथा प्रतिवादी सं. 1 वाद भूमि में अपना हक व हिस्सा नहीं लेना चाहता है प्रतिवादी सं. 1 का अपनी माता तुलसी पत्नि ख्यालीराम के नाम दर्ज 1/7 हिस्सा में अपना हक व हिस्सा दर्ज करवा लेगे इसलिए रोही मौजा भगवान तहसील नोहर के खाता सं. 62/58 की कुल 10.7990 हैक्टर भूमि में वादी के पिता प्रतिवादी सं. 1 दलीप पुत्र ख्यालीराम के नाम दज 1/7 हिस्सा भूमि में वादी एवं प्रतिवादी सं. 2 ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार है एवं प्रतिवादी सं. 1 का नाम जमाबन्दी से कलमजन करवाकर वादी उपरोक्त आशयों की न्यायालय से घोषणा करवापाने का अधिकारी है। प्रतिवादी स0 1 ता 2 द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा भगवान तहसील नोहर केक खाता स0 62/58 के ख0न0 117/2 की 3.8570 हैक्ट भूमि ख0न0 314/3 की 4.5520 हैक्ट भूमि ख0न0 439/2 की 2.3900 हैक्ट कुल 10.7990 हैक्ट भूमि में से 1/7 हिस्सा भूमि

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो के मुताबिक उक्त वाद भूमि पैतृक भूमि होना साबित है वादी द्वारा पत्रावली में दर्शाये गये सजरा खानदान के अलावा प्रतिवादी स0 1 के अन्य कोई वारिस नही होना स्वीकार किया गया है वादी का कथन है कि वाद भूमि हिन्दु मुश्तरका खान दान की जददी जायदाद भूमि है जो कि वादी के दादा ख्यालीराम की नौताड़ कर्ता भूमि है जो प्रतिवादी सं. 1 के कर्ता खान होने के कारण अपने नाम अनुचित तौर से दर्ज करवा ली जबकि वाद भूमि में प्रतिवादी सं. 1 के साथ वादी व प्रतिवादी सं. 2 का बाई बर्थ राईट है अर्थात ब.हि..ब के खातेदार काश्तकार है तथा वादी व प्रतिवादीगण सं. 1 ता 2 एक दुसरे के कोपार्सनर है। वाद भूमि बाबत वादी व प्रतिवादीगण के मध्य बाहमी राजीनामा हो चुका है तथा मुताबिक राजीनामा के वाद भूमि में प्रतिवादी सं. 1 का जो भी हक व हिस्सा था वो वादी सं. 1 व प्रतिवादी सं. 2 के पक्ष में परित्याग कर दिया है तथा प्रतिवादी सं. 1 वाद भूमि में अपना हक व हिस्सा नहीं लेना चाहता है प्रतिवादी सं. 1 का अपनी माता तुलसी पत्नि ख्यालीराम के नाम दर्ज 1/7 हिस्सा में अपना हक व हिस्सा दर्ज करवा लेगे इसलिए रोही मौजा भगवान तहसील नोहर के खाता सं. 62/58 की कुल 10.7990 हैक्टर भूमि में वादी के पिता प्रतिवादी सं. 1 दलीप पुत्र ख्यालीराम के नाम दज 1/7 हिस्सा भूमि में वादी एवं प्रतिवादी सं. 2 ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार है एवं प्रतिवादी सं. 1 का नाम जमाबन्दी से कलमजन करवाकर वादी उपरोक्त आशयों की न्यायालय से घोषणा करवापाने का अधिकारी है, वादी के उक्त कथनों को प्रतिवादीगण द्वारा स्वीकार करते हुए इकबाल पेश किया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हमें कोई ऐतराज नही है अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी स0 1 ता 2 की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा भगवान तहसील नोहर के खाता सं. 62/58 की कुल 10.7990 हैक्टर भूमि में वादी के पिता प्रतिवादी सं. 1 दलीप पुत्र ख्यालीराम नाम दर्ज 1/7 हिस्सा भूमि वादी एवं प्रतिवादी सं. 2 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं प्रतिवादी सं. 1 का नाम कलमजन किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 03/06/26 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 361 / 2026

अनवान : –

1. मनीष पुत्र दलीप कुमार जाति जाट साकिन भगवान तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. दलीप पुत्र ख्यालीराम जाति जाट साकिन भगवान तहसील नोहर।
2. आशीष पुत्र दलीप कुमार जाति जाट साकिन भगवान तहसील नोहर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 361 सन 2026 निर्णय दिनांक 03/06/26

आज यह वाद मुझ राहुल श्रीवास्तव उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री मदन मोहन जोशी एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ / अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा भगवान तहसील नोहर के खाता सं. 62 / 58 की कुल 10.7990 हैक्टर भूमि में वादी के पिता प्रतिवादी सं. 1 दलीप पुत्र ख्यालीराम नाम दर्ज 1 / 7 हिस्सा भूमि वादी एवं प्रतिवादी सं. 2 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं प्रतिवादी सं. 1 का नाम कलमजन किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500 / – रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक ..03/06/26.... को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर